

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 47/2022

हवासिंह पुत्र भोमाराम जाति जाट, निवासी मनोहरपुरा, तहसील बुहाना जिला  
झुन्झुनू (राज.)

—अपीलान्ट—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोंडेन्ट—

अपील अ. धारा 75 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 अपील खिलाफ निर्णय  
दिनांक 04.04.2022 न्यायालय तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू प्रकरण  
संख्या 69/2022 उनवानी सरकार बनाम हवासिंह पुत्र भोमाराम किस्म मुकदमा अ0  
धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थिति:—

1. श्री उम्मेदसिंह भाम्बू, एडवोकेट.....अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता.....रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

—निर्णय—

दिनांक : 30.04.2026

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलान्ट को भूमि ख. नं. 76 सरहद मनोहरपुरा तहसील बुहाना में से 0.05 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया। निर्णय स्पीकिंग नहीं हैं तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई, चौड़ाई दर्ज नहीं है, मात्र केवल यह दर्ज कर दिया कि अपीलान्ट अवैध रूप से कांटो की बाड़, टिनशेड़, खेल पानी की टंकी बनाकर अतिक्रमण कर रखा हैं। अदालत मातहत ने गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर कानूनी गलती की हैं। योग्य अदालत मातहत ने पटवारी हल्का ने राजनैतिक द्वेष भावना से गलत रिपोर्ट पेश की है, जिस पर विश्वास करके निर्णय पारित करने में भूल कानूनी की हैं। वही मानी जाये। अपीलान्ट के पूर्वजों के द्वारा ही लगभग 40-50 वर्ष पूर्व से ही पशुओं के लिए पानी की खेल बना रखी है, जिसमें आवारा पशु पानी पीते हैं। जिस तथाकथित भूमि पर अदालत मातहत के द्वारा जो अतिक्रमण बताया वो भूमि अपीलान्ट के पिता की पट्टाशुदा भूमि है। ग्राम पंचायत धुलवा पंचायत समिति बुहाना के द्वारा पट्टा नं. 15, 16 दिनांक 13.11.1963 को जारी किया गया है। अपीलान्ट का अपनी पट्टे शुदा भूमि के

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
झुन्झुनू

अलावा कोई अतिक्रमण नहीं हैं। जिस भूमि पर अदालत मातहत के द्वारा अतिक्रमण बताया जा रहा है, वो भूमि अपीलान्ट की पट्टाशुदा भूमि हैं। निर्णय दिनांक 04.04.2022 को एकपक्षीय रूप से पारित हुआ जिसकी जानकारी दिनांक 13.06.2022 को पटवारी हल्का को बताने पर हुई। निर्णय की प्रति दिनांक 13.06.2022 को प्राप्त हुई। आज तक का समय अपील तैयार करवाने व अन्य दस्तावेजात एकत्रित करने में लग गया। अपीलान्ट की अपील में मेरिट हैं। ऐसी सूरत में बेरोज जानकारी से अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद पेश है। अपील के साथ दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं। किसी कारणवश अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद नहीं मानी जावे, उस सूरत में अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को माफ दिया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद समाहत किये जाने का आदेश दिया गया है। अपीलान्ट्स की अपील में मैरिट है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 04.04.2022 को पारित बेदखली आदेश को खारिज फरमाया जावे।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को भूमि ख. नं. 76 सरहद मनोहरपुरा तहसील बुहाना में से 0.05 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया। निर्णय स्पीकिंग नहीं हैं तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई, चौड़ाई दर्ज नहीं है, मात्र केवल यह दर्ज कर दिया कि अपीलान्ट अवैध रूप से कांटो की बाड़, टिनशेड़, खेल पानी की टंकी बनाकर अतिक्रमण कर रखा हैं। अदालत मातहत ने गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर कानूनी गलती की हैं। योग्य अदालत मातहत ने पटवारी हल्का ने राजनैतिक द्वेष भावना से गलत रिपोर्ट पेश की है, जिस पर विश्वास करके निर्णय पारित करने मे भूल कानूनी की हैं। वही मानी जाये। अपीलान्ट के पूर्वजों के द्वारा ही लगभग 40-50 वर्ष पूर्व से ही पशुओं के लिए पानी की खेल बना रखी है, जिसमे आवारा पशु पानी पीते है। जिस तथाकथित भूमि पर अदालत मातहत के द्वारा जो अतिक्रमण बताया वो भूमि अपीलान्ट के पिता की पट्टाशुदा भूमि है। ग्राम पंचायत धुलवा पंचायत समिति बुहाना के द्वारा पट्टा नं. 15, 16 दिनांक 13.11.1963 को जारी किया गया है। अपीलान्ट का अपनी पट्टे शुदा भूमि के अलावा कोई अतिक्रमण नहीं हैं। जिस भूमि पर अदालत मातहत के द्वारा अतिक्रमण बताया जा रहा है, वो भूमि अपीलान्ट की पट्टाशुदा भूमि हैं। निर्णय दिनांक 04.04.2022 को एकपक्षीय रूप से पारित हुआ जिसकी जानकारी दिनांक 13.06.2022 को पटवारी हल्का को बताने पर हुई। निर्णय की प्रति दिनांक 13.06.2022 को प्राप्त हुई। अपीलान्ट्स की अपील में मैरिट है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी जानबुझकर नहीं रही है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
बन्धुन

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि राजकीय है जिसकी किस्म गैर मुमकिन जोहड है। तथा अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत कार्यवाही की है। अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत तथा न ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रकरण में विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.04.2022 मुकदमा संख्या 69/2022 उनवानी सरकार बनाम हवासिंह पुत्र भोमाराम अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार बुहाना को प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजिथ कुमार आय),  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
झुन्झुनूं